मतदान क लिए अवकाश

मतदान प्रत्येक चुनाव के दिन प्रातः 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुला होगा। यदि उस दौरान आपको काम करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, तो California क़ानून आपको बिना वेतन खोए, मतदान के लिए दो घंटों का अवकाश लेने की अनुमति देता है।

आप मतदान के लिए अपनी जरूरत के अनुसार जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं, लेकिन उस समय में से केवल दो घंटों के लिए भुगतान किया जाएगा।

मतदान के लिए आपका समय अवकाश केवल आपके नियमित कार्य की पाली के प्रारंभ या अंत में हो सकता है, बशर्ते कि आपने अपने नियोक्ता के साथ कोई अन्य व्यवस्था न की हो।

यदि आपके विचार से मतदान के लिए आपको अवकाश की ज़रूरत होगी, तो आपको चुनाव से कम से कम दो कार्य-दिवस पहले अपने नियोक्ता को सूचित करना चाहिए।

California चुनाव संहिता धारा 14000